उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

संख्या 230/XIII-II/51(5)/2005

देहरादून: दिनांक: 06 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2010

संशोधन/विस्तार

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के सम्बन्ध में समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय करते हुए जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी घोषित किया गया। उक्त एजेन्सी में जिला स्तर पर जिला जलागम विकास इकाईयों के कार्यों के मार्ग दर्शन एवं समन्वय हेतु शासनादेश संख्या 1216/XIII-II/51(5)/2005 दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति में आंशिक संशोधन/विस्तार करते हुये क्रम संख्या 13 पर सम्बन्धित जिले के एक ब्लाक प्रमुख (आवर्तन में) सदस्य तथा क्रम संख्या 14 पर सम्बन्धित जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित एक जिला पंचायत सदस्य, (आवर्तन में) सदस्य होंगे।

उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा अन्य जिला जलागम विकास इकाई (डी0डब्ल्यू0डी0यू0) के अध्यक्ष/सदस्य एवं कार्य यथावत रहेंगे।

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्या : 230(1)/XIII-II/51(5)/2005, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजना से सम्बन्धित विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष/उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. विभागाध्यक्ष (वन, कृषि, ग्राम विकास, पंचायतीराज, लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

(एम0एच0 खान)
सचिव